रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 2018/ वैशाख 20, 1940
No. 303] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2018/VAISAKHA 20, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 441(अ).— केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 27 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 53 की उप-धारा (2) के उप-खंड (च) और उप-खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) "वार्षिक रिपोर्ट" से प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ग) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन से शुरू होने वाले और ठीक पश्चातवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु वे इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

3. त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करना.—प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को परिशिष्ट-I में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरणियां और विवरण तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा।

4. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना.—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, यथाशीघ्र तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में निष्पादित इसके निम्नलिखित क्रियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा, अर्थात्-

(क) प्राधिकरण के पूर्व वर्षों के सभी कार्यकलापों का विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखे;

(ग) आगामी वर्ष के लिए कार्य संबंधी कार्यक्रम।

(3) प्राधिकरण की बैठक में स्वीकार करने के पश्चात वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणीकृत की जाएगी तथा इसकी अपेक्षित संख्या में प्रतियां केन्द्रीय सरकार को दिसंबर मास की 31 तारीख तक प्रस्तुत कर दी जाएंगी, तत्पश्चात केंद्रीय सरकार इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

परिशिष्ट I

यूआईडीएआई द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित विवरणियां और विवरण

I. राज्यवार आधार सृजन की विवरणी

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**कुल जनसंख्या**	**सौंपे गए आधार की संख्या**	**परिपूर्णता (%)**
1.				
2.				
3.				

II. पिछली तिमाही के दौरान आधार उन्नयन की विवरणी

क्र.सं.	**मास**	**मास के दौरान किए गए उन्नयन**	**स्थापना के बाद से संचित उन्नयन।**
1.			
2.			
3.			
तिमाही के दौरान कुल			**XXX**

III. पिछली तिमाही के दौरान आधार प्रमाणीकरण ट्रांजेक्शन विवरणी

क्र.सं.	मास	मास के दौरान अधिप्रमाणीकरण ट्रांजेक्शन	स्थापना के समय से संचित अधिप्रमाणीकरण ट्रांजेक्शन
1.			
2.			
3.			
तिमाही के दौरान कुल			XXX

परिशिष्ट II

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1. **एक अवलोकन**

2. **अध्यक्ष का कथन**

3. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कार्यप्रणाली**

3.1 नामांकन और उन्नयन ईकोसिस्टम

3.2 अधिप्रमाणीकरण ईकोसिस्टम

3.3 लॉजिस्टिक ईकोसिस्टम

3.4 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन

3.5 डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

4. आधार - शासन सुधार के लिए एक साधन

4.1 आधार और वित्तीय समावेशन

4.2 प्रत्यक्ष फायदा अंतरण

4.3 नई पहल

5. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले और वित्तीय प्रदर्शन**

5.1 संगठनात्मक संरचना

5.2 नागरिक / ग्राहक का चार्टर (सीसीसी)

5.3 बजट और व्यय के ब्यौरे

5.4 राजभाषा

5.5 अन्य संबद्ध क्रियाकलाप

6. **भविष्य की योजनाएं**

उपाबंध

उपाबंध- I : आधार अधिनियम

उपाबंध -II : आधार विनियम

उपाबंध - III : राज्यवार आधार सृजित डेटा

[फा. सं. 22(2)/2017-सीएलईएस]

पंकज कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2018

G.S.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (f) and (g) of sub-section 2 of section 53 read with sub-sections (1) and (2) of section 27 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Unique Identification Authority of India (Returns and Annual Report) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(b) "annual report" means the annual report prepared by the Authority under sub-section (2) of section 27 of the Act;

(c) "Appendix" means an Appendix annexed to these rules;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "year" means the financial year beginning the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the year immediately following;

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Furnishing of quarterly returns.—The Authority shall furnish quarterly, to the Central Government, returns and statements on the matters specified in **Appendix-I**.

4. Preparation and submission of annual report. — (1) The A uthority shall prepare, as soon as may be, after the completion of each financial year the annual report referred to in sub-section (2) of section 27 of the Act in the form specified in **Appendix-II.**

(2) The Authority shall prepare once in every year an annual report giving an account of its activities performed in the previous year, containing the following, namely–

(a) a description of all the activities of the Authority for the previous year;

(b) the annual accounts for the previous year;

(c) the programmes of work for coming year.

(3) The annual report shall after adoption at a meeting of the Authority, be signed by the members and authenticated by the Authority and the requisite number of copies thereof shall be submitted to the Central Government by the 31th day of December and the Central Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

APPENDIX-I

RETURNS AND STATEMENTS REQUIRED TO BE FURNISHED QUATERLY BY UIDAI

I. Return on State wise Aadhaar Generation

S.No.	State Name	Total Population	Numbers of Aadhaar assigned	Saturation (%)
1.				
2.				
3.				

I. Return on Aadhaar Updations during the last quarter

S.No.	Month	Updations during the month	Cumulative updations since inception.
1.			
2.			
3.			
Total for the quarter			XXX

I. Return on Aadhaar Authentication Transactions during the last quarter

S.No.	Month	Authentication Transactions during the month	Cumulative Authentication Transactions since inception.
1.			
2.			
3.			
Total for the quarter			XXX

APPENDIX-II

Form of Annual Report of the Unique Identification Authority of India

1. **An Overview**
2. **Statement of Chairperson**
3. **Functioning of Unique Identification Authority of India**
   3.1 Enrolment and Updation Ecosystem
   3.2 Authentication Ecosystem
   3.3 Logistics Ecosystem
   3.4 Training, Testing and Certification
   3.5 Data security and privacy
4. **Aadhaar- A Tool for Governance Reform**
   4.1 Aadhaar and financial inclusion
   4.2 Direct Benefit Transfer
   4.3 New Initiatives
5. **Organizational matters of Unique Identification Authority of India and Financial Performance**
   5.1 Organisational Structure
   5.2 Citizen's/Client's Charter (CCC)
   5.3 Details of Budget & Expenditure
   5.4 Raj Bhasha
   5.5 Other related activities
6. **Future Plans**

Annexures

Annexure- I: Aadhaar Act
Annexure-II: Aadhaar Regulations
Annexure- III: State-wise Aadhaar generated data

[F.No. 22(2)/2017-CLES]

PANKAJ KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.21 17:30:46 +05'30'